

ग. १. जगदीश बगम विनियम क्र. ७८/२०२३

संविधान  
के अंतर्गत  
पाए गए

जगदीश  
Iscvt  
Ch

२०/३/२४ मूल वादपत्र के साथ प्रयावली तब  
की गयी सभी स्तंभ एवं आधिकारिक मैकेनिज्म  
किता कि वे वादपत्र से जारी नहीं चलाए  
जाएँगे

कतः वादपत्र जारी किये गए  
किता जाते हैं प्रयावली के तब शुभ  
दोका नम्बर से कर रहे

उपसचिव अधिकारी  
सिकरान (बैसा)